छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

पंचम विधान सभा चतुर्थ सत्र अंक-04

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 28 नवंबर, 2019

(अग्रहायण 7, शक संवत् 1941)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

1. छत्तीसगढी राजभाषा दिवस

अध्यक्ष महोदय द्वारा छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस पर उद्गार व्यक्त किये गये ।

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि- आज छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस के अवसर पर माननीय सदस्य सदन में छत्तीसगढ़ी भाषा में ही प्रश्न करेंगे और माननीय मंत्रिगण प्रश्नों के उत्तर छत्तीसगढ़ी भाषा में ही देंगे । मैं स्वयं अपनी बात सौ प्रतिशत छत्तीसगढ़ी में रखूंगा मैं चाहता हूं कि आज सदन की कार्यवाही 80-90 प्रतिशत छत्तीसगढ़ी में हो ।

साथ ही मैं विधान सभा के प्रमुख सचिव को भी निर्देश देता हूं कि वे सचिवालय में जो छत्तीसगढ़ी के जानकार हैं, समझते और ट्रांसलेट करते हैं, उन्हें इसके लिए तैयार रखें ताकि उन्हें पढ़ने-लिखने एवं समझने में कोई तकलीफ न हो ।

श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री, श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष, सर्वश्री अजीत जोगी, धनेन्द्र साहू ने भी उद्गार व्यक्त किये ।

2. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से तारांकित प्रश्न संख्या 01, 02, 03, 04, (कुल 04) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

तारांकित प्रश्न संख्या 04 के प्रश्नकर्ता सदस्य श्री अरूण वोरा के स्थान पर श्री धनेन्द्र साहू अधिकृत थे ।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 40 तारांकित एवं 62 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

3. बहिर्गमन

तारांकित प्रश्न संख्या 01 पर चर्चा के दौरान श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में नारे लगाते हुये सदन से बहिर्गमन किया गया ।

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) डॉ.शिवकुमार डहरिया, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री, ने छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम,1984 (क्रमांक 15 सन् 1984) की धारा 6 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 5-19/2019/18, दिनांक 26 सितम्बर, 2019 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) नियम, 2019

(2) डॉ.शिवकुमार डहरिया, नगरीय प्रशसन एवं विकास मंत्री, ने छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम,1984 (क्रमांक 15 सन् 1984) की धारा 6 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 5-19/2019/18, दिनांक 30 सितम्बर, 2019

(सभापति महोदय (श्री धनेन्द्र साहू) पीठासीन हुए।)

(3) श्री मोहम्मद अकबर, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (क्रमांक 16 सन् 2016) की धारा 78 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-2019

पटल पर रखे ।

5. स्थगन प्रस्ताव

प्रदेश में धान के पंजीकृत कृषि रकबे में कमी करने एवं किसानों का धान जब्त किया जाना

माननीय सभापति ने प्रदेश में धान के कृषि का रकबा, जो किसानों ने पंजीयन कराया है, उसमें कमी करने एवं किसानों का धान जब्त करने के संबंध में 14 सदस्यों की ओर से प्राप्त सूचनाओं में से सर्वप्रथम प्राप्त श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य की सूचना पढ़ी ।

श्री अमरजीत भगत, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

माननीय सभापति ने शासन का वक्तव्य सुनने के पश्चात् इसे प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी ।

(पक्ष-प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा परस्पर विरोधी नारे लगाये गये।)

(निरंतर व्यवधान होने से सदन की कार्यवाही 12.30 बजे स्थगित की जाकर 12.46 बजे समवेत हुई ।)

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष, ने स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराये जाने की मांग की ।

(पक्ष-प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा परस्पर विरोधी नारे लगाये गये।)

(प्रतिपक्ष के सदस्य गर्भ-गृह में आये ।)

6. गर्भगृह में प्रवेश पर स्वमेव निलंबन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250 (1) के अधीन निम्नलिखित सदस्य सभा की कार्यवाही से स्वमेव निलंबित हो गये हैं :-

श्री धरमलाल कौशिक, डॉ.रमन सिंह, सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, पुन्नूलाल मोहले, अजय चन्द्राकर, शिवरतन शर्मा, डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी, सर्वश्री सौरभ सिंह, डमरूधर पुजारी, रजनीश कुमार सिंह, श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सर्वश्री अजीत जोगी, धर्मजीत सिंह, डॉ.रेणु अजीत जोगी, सर्वश्री प्रमोद कुमार शर्मा, केशव प्रसाद चन्द्रा ।

माननीय अध्यक्ष ने निलंबित सदस्यों से आग्रह किया कि वे सभा भवन से बाहर चले जायें । निलंबन अवधि का निर्धारण वे पश्चात् करेंगे ।

(निलंबित सदस्य सभा भवन से बाहर गये ।)

7. ध्यानाकर्षण सूचना

माननीय अध्यक्ष द्वारा सूचित किया गया कि सदस्यों की ओर से अभी तक प्राप्त ध्यानाकर्षण की सूचनाओं में दर्शाये गये विषयों की अविलंबनीयता तथा महत्व के साथ ही माननीय सदस्यों के विशेष आग्रह को देखते हुए सदन की अनुमति की प्रत्याशा में नियम 138 (3) को शिथिल करके मैंने आज की कार्यसूची में चार ध्यानाकर्षण सूचनाएं शामिल किये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है ।

सहमति प्रदान की गई ।

(1) श्री केशव प्रसाद चन्द्रा, सदस्य (अनुपस्थित- सूचना प्रस्तुत नही हुई ।)

(2) श्री देवव्रत सिंह, सदस्य ने नगर निगम रायपुर एवं बिरगांव क्षेत्र में आने वाले तालाबों और जलाशयों का पुनरुद्धार न किया जाकर तालाबों के पास व्यवसाय की अनुमति दिये जाने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

डॉ.शिवकुमार डहरिया, नगरीय प्रशसन एवं विकास मंत्री, ने इस पर वक्तव्य दिया।

8. निलंबन अवधि की समाप्ति

माननीय अध्यक्ष ने नियम 250 (1) के अंतर्गत निलंबित सदस्यों की निलंबन अवधि समाप्त करने की घोषणा की ।

9. ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमश:)

(3) श्री कुंवर सिंह निषाद, सदस्य ने प्रदेश में कार्यरत शिक्षाकर्मियों की अंशदायी पेंशन योजना के क्रियान्वयन में अनियमितता किये जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, स्कूल शिक्षा मंत्री, ने इस पर वक्तव्य दिया।

(4) श्री ननकीराम कंवर, सदस्य (अनुपस्थित- सूचना प्रस्तुत नही हुई ।)

श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य द्वारा अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति का आग्रह किये जाने पर माननीय अध्यक्ष ने अनुपूरक प्रश्न करने हेतु अनुमति दी ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य द्वारा अनुपूरक प्रश्न पूछा गया, जिस पर श्री रविन्द्र चौबे, पशुपालन मंत्री द्वारा प्रश्न का समुचित उत्तर दिया गया ।

10. नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी गई :-

(1) श्री अजय चन्द्राकर

(2) श्री प्रकाश शक्राजीत नायक

(3) श्री बृजमोहन अग्रवाल

(4) श्री सौरभ सिंह

(5) श्री नारायण चंदेल

(6) श्री केशव प्रसाद चन्द्रा

(7) श्री लालजीत सिंह राठिया

(8) श्री ननकीराम कंवर

(9) श्री अजीत जोगी

11. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

श्री धनेन्द्र साहू, सभापति ने गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया । प्रतिवेदन इस प्रकार है :-

समिति ने सदन के समक्ष शुक्रवार, दिनांक 29 नवंबर, 2019 को चर्चा के लिये आने वाले गैर सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार किया तथा निम्नलिखित अशासकीय संकल्पों पर चर्चा के लिये निम्नानुसार समय निर्धारित करने की सिफारिश की है:-

अशासकीय संकल्प क्रं.	**सदस्य का नाम**	**समय**
1. (क्रमांक - 05)	श्री धर्मजीत सिंह	45 मिनट
2. (क्रमांक - 06)	डॉ.विनय जायसवाल	01 घंटा
3. (क्रमांक - 08)	श्री अजय चन्द्राकर	45 मिनट

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से कार्य-सूची में सम्मिलित कार्य पूर्ण होने तक समय वृद्धि की घोषणा की ।)

12. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 19 सन् 2019)

डॉ.शिवकुमार डहरिया, नगरीय प्रशसन एवं विकास मंत्री,ने छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 19 सन् 2019) के पुर: स्थापन की अनुमति चाही गई ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

सदस्य सर्वश्री अजय चन्द्राकर, बृजमोहन अग्रवाल, शिवरतन शर्मा, श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष द्वारा विधेयक के पुर:स्थापन पर आपत्ति की गई ।

13. व्यवस्था

विधेयकों के पुर: स्थापन के संबंध में व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि विधेयकों के पुर:स्थापन के संबंध में नियम 60(4) में यह प्रावधान है कि अध्यक्ष किसी विधेयक की सूचना अस्वीकार कर सकेगा, यदि विधेयक में इस नियम के उप नियम (2) या 61 या 62 की अपेक्षाओं का पालन नहीं किया गया हो ।

मैंने नियम 60(2), 61 एवं 62 में उल्लेखित प्रावधानों का अवलोकन किया है ।विधेयक 60(2), 61 एवं 62 की अपेक्षाओं की पूर्ति करता है, साथ ही विधेयक की प्रति माननीय सदस्यों के उपयोग के लिये नियम 65 के परन्तुक के पद (1) के परिप्रेक्ष्य में दो दिन पूर्व ही उपलब्ध करा दी गई है, इसलिए मैंने विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति दी है और विधेयक को पुर:स्थापित करने में कोई विधिक विसंगति परिलक्षित नहीं होती है, अत: आपकी आपत्ति अमान्य की जाती है ।

14. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमश:)

अनुमति प्रदान की गई ।

15. बहिर्गमन

श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा विधेयक के पुर:स्थापन के विरोध में नारे लगाते हुये सदन से बहिर्गमन किया गया ।

16. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमश:)

डॉ.शिवकुमार डहरिया, नगरीय प्रशसन एवं विकास मंत्री ने छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 19 सन् 2019) पुर: स्थापित किया ।

(2) छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 20 सन् 2019)

डॉ.शिवकुमार डहरिया, नगरीय प्रशसन एवं विकास मंत्री ने छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 20 सन् 2019) पुर: स्थापित किया ।

(3) छत्तीसगढ़ विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 21 सन् 2019)

श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री ने छत्तीसगढ़ विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 21 सन् 2019) पुर: स्थापित किया ।

(4) छत्तीसगढ़ पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 22 सन् 2019)

श्री ताम्रध्वज साहू, गृह मंत्री ने छत्तीसगढ़ पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 22 सन् 2019) पुर: स्थापित किया ।

माननीय अध्यक्ष ने सदन की अनुमति से शासन की ओर से प्राप्त विधेयकों की सूचना पर चर्चा, विचार एवं पारण हेतु उसके समक्ष अंकित समय निर्धारित किया है, जो इस प्रकार है :-

	समय
(1) छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 19 सन् 2019)	1 घंटा
(2) छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 20 सन् 2019)	1 घंटा
(3) छत्तीसगढ़ विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 21 सन् 2019)	30मिनट
(4) छत्तीसगढ़ पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 22 सन् 2019)	30मिनट

17. नियम 139 के अधीन अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

माननीय अध्यक्ष ने सूचित किया कि नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा कल ली जावेगी ।

अपरान्ह 02.07 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 29 नवंबर, 2019 (अग्रहायण-8, शक संवत् 1941) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

चन्द्र शेखर गंगराड़े
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा